प्रतिज्ञा : लैंगिक समानता और सुरक्षित गर्भपात के लिए अभियान

प्रतिज्ञा लैंगिक भेदभावपूर्ण लिंग चयन के गंभीर मुद्दे पर एक सामान्य दृष्टिकोण खोजने के लिए केन्द्रित है जिससे भारत में महिलाओं के सुरक्षित, कानूनी गर्भपात सुविधाओं के अधिकारों को सुरक्षा हो सके। उदारवादी चिकित्सकीय गर्भसमापन (एमटीपी) अधिनियम, 1971 जो भारत में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं को नियंत्रित करता है, उसके बावजूद बडी संख्या में अभी भी असुरिक्षत गर्भपात कई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जागरूकता के बाधकों के चलते होते है जिससे गर्भपात देखभाल की उपलब्धता प्रभावित होती है।

प्रीकॉन्सेप्शन एण्ड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अधिनियम भारत में महिलाओं के कल्याण और लैंगिक भेदभावपूर्ण लिंग चयन को बचाने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाया गया। एमटीपी अधिनियम महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के साथ विशेषरूप से सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के संदर्भ में सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाया गया। फिर भी इनके क्रियान्वयन में कुछ भ्रांतियां है जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षित गर्भपात सेवाओं को प्रदान करने में बाधाऐं खडी हो गई है। 2011 की जनगणना के तथ्यों के अनुसार लिंग अनुपात बढ़ा है, यह मीडिया के साथ अन्य समूहों में लैंगिक भेदभावपूर्ण लिंग चयन पर यह वृद्धि केन्द्रित है। केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरीय सभी सरकारों को मिलकर कड़ाई से इस मुद्दे पर ध्यान दिया जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात सेवाऐं देने वाले चिकित्सकों पर रोक लगाई गई और गर्भपात दवाओं आदि चिकित्सकीय उपलब्धताओं को सीमित किया गया।

भारत में जबकि यह आमधारणा है कि लैंगिक पक्षपातपूर्ण लिंग चयन और लैंगिक भेदभाव गंभीर सामाजिक मुद्दा है, यहाँ सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के संचालन के लिए महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें आगे बढाने की आवश्यकता है। दो अधिनियमों जिनका प्रतिकूल प्रभाव सुरक्षित गर्भपात प्रदान करने पर पडता है उनके सम्मिश्रित क्रियान्वयन के बारे में विचार करना चाहिए, हितधारकों का एक समूह जनवरी, 2013 को इस मुद्दे पर चर्चा और रणनीति विकसित करने के लिए मिला जिसकी उत्पत्ति प्रतिज्ञा के नेतृत्व में हुई : लैंगिक समानता और सुरक्षित गर्भपात के लिए अभियान।[1]

प्रारंभिक अवस्था में इस अभियान से राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्यशील समूहों को संरचित किया गया जो मुख्यतः व्यवसायिक स्वास्थ्य सेवाओं की नीतियों को विकसित करते है, प्रासंगिक नियामक निकायों और मीडिया व्यवसायियों के साथ गर्भपात स्थिति का मूल्यांकन करते है।

संरचित कार्यशील समूह तीन मुख्य मुद्दों पर केन्द्रित है –

एमटीपी और पीसीपीएनडीटी अधिनियम की स्पष्टता

चिकित्सकीय गर्भपात दवाओं के परिचय के बाद प्रासंगिक परिवर्तनों की समीक्षा करना

---

[1]Achutha Menon Centre, Action Research and Training for Health, Asia Safe Abortion Partnership, Bitiya, Breakthrough, CEHAT, Centre for Health and Social Justice, Centre for Reproductive Rights, Department for International Development – UK Aid, Family Planning Association of India, Federation of Obstetric and Gynaecological Societies of India, Foundation for Reproductive Health Services India (Formerly Marie Stopes India), Gramin Punarnirman Sansthan, Indian Nursing Council, International Centre for Research on Women, Ipas Development Foundation, National Health Systems Resource Centre, Packard Foundation, Parivar Seva Sanstha, Population Council, Population First, Population Foundation of India, Population Services International, R P Education Society, Shikshit Rojgar Kendra Prabandhak Samiti (SRKPS), Society for all Round Development (SARD), UNFPA, CREA

प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के क्षेत्र में उद्देश्य के समर्थन के लिए सहयोगियों में वृद्धि करना।

वर्तमान स्तर पर, फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हैल्थ सर्विसेज इंडिया (एफआरएचएस भारत) कडाई से प्रबंधन कर रहा है और सुरक्षित गर्भपात के महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षात्मकता पर हित धारकों और सरकार के साथ सक्रिय समर्थन में लिप्त हो चुका है।

वर्तमान में यह अभियान वृहत् स्तर पर मुख्य कार्यों पर केन्द्रित है जो निम्न प्रकार है –

लक्षित लोगों (हितधारकों द्वारा चयनित) के लिए एमटीपी और पीसीपीएनडीटी अधिनियम के मध्य अंतर के बारे में नीतियुक्त संचार विकसित करना।

राजस्थान और महाराष्ट्र से राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सरकारी अधिकारियों के साथ जुडना, सुरक्षित गर्भपात और पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर कार्य करना और लिंग चयन समूहों के लिए इस मुद्दे पर सामान्य जानकारी विकसित करना।

मीडिया के पेशेवरों (पत्रकार, कलाकार, समाचार संपादक आदि) को, गर्भपात की पहचान जैसे महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर संवेदनशील बनाना।

अन्य संस्थाओं जैसे डब्ल्यू एच ओ और अन्य बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थाओं के साथ देश में गर्भपात सेवाओं पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान कराने के लिए साझेदारी करना।

अभियान की गतिविधियों को 6–7 विशेषज्ञों के समूह द्वारा निर्देशित किया जाता है जैसे अभियान सलाहकार समूह जो प्रगति की समीक्षा करने के लिए हर तिमाही से मिलते हैं और उस तरीके पर चर्चा करते हैं जिसमें अभियान दो अधिनियमों के बीच स्पष्टीकरण को उजागर कर सकता है। यह अभियान रणनीतिक रूप से दो राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र और हमारे राज्य के साथ काम कर रहा है, जिससे अभियान प्राथमिकताओं पर राज्य सरकारों की वकालत सुनिश्चित हो सकती है। अभियान संचार योजना का विकास और अभियान उद्देश्यों के साथ अपने संदेश को संरेखित करने के लिए भागीदारों के साथ साझा किया गया है। हमारी समर्थन गतिविधियों के माध्यम से, अभियान लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच तैयार करने के लिए तैयार करता है, इस प्रतिमान के भीतर सेक्स चयन का मुद्दा रखता है, जबकि एक ही समय में सुरक्षित गर्भपात के लिए महिलाओं के अधिकार के लिए बात करते हैं।

Pratigya : Campaign for Gender Equality and Safe Abortion
Secretariat, B-37, Gulmohar Park, New Delhi 110049
Ph: 91-11-49840000| Email: secretariart@pratigyacampaign.org
www.pratigyacampaign.org